

उत्तर

खंड III	परिदृश्य
	क्रॉसवर्ड पहेली
खंड IV	परिदृश्य
	क्रॉसवर्ड पहेली
खंड V	परिदृश्य

खंड III

परिदृश्य

आरव, एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में मार्केटिंग मैनेजर हैं और अपनी पत्नी आरती, अपनी 16 वर्षीय बेटी मीरा, अपनी बहन हेमा और अपने माता-पिता के साथ मुंबई में रहते हैं। आरती एक गृहिणी हैं और मीरा एक छात्रा हैं। मीरा हिंदुस्तानी संगीत की पढाई करती हैं और संगीत प्रतियोगिताओं में भाग लेती हैं। आरव के माता-पिता वरिष्ठ नागरिक हैं और उन पर निर्भर हैं। आरव का एक भाई आनंद है, जो व्यापार करता है। आनंद भी अपनी पत्नी गायत्री और बेटी निशा के साथ मुंबई में रहते हैं, जिसका 18वां जन्मदिन 2 अप्रैल, 2026 को है। पिछले वर्ष 2025-26 के लिए, आनंद और गायत्री धारा 115BAC के तहत डिफॉल्ट कर व्यवस्था के तहत कर का भुगतान करते हैं, जबकि आरव और आरती डिफॉल्ट कर व्यवस्था से बाहर निकलने का विकल्प चुनते हैं और वैकल्पिक कर व्यवस्था के तहत अधिनियम के नियमित प्रावधानों के अनुसार कर का भुगतान करते हैं।

परिदृश्य नीचे जारी है और परिवार के सदस्यों द्वारा पिछले वर्ष 2025-26 में अर्जित आय/किए गए विभिन्न प्रकार के लेन-देनों को दर्शाते हुए घटकों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक लेन-देन के संबंध में "विचारणीय बिंदु" दिए गए हैं ताकि आप अध्यायों को पढ़ने और उनके कर परिणामों का विश्लेषण करने के बाद अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए प्रेरित हों।

नीचे दी गई तालिका के स्तंभ (1) में वर्णित परिदृश्य और उसके प्रत्येक घटक को और स्तंभ (2) की संगत पंक्ति में दिए गए उससे संबंधित विचारणीय बिंदुओं को पढ़ें। इसके बाद, संबंधित अध्याय पढ़ें, प्रावधान को समझें, कर परिणामों का विश्लेषण करें और तालिका के स्तंभ (5) में उस पर अपनी प्रतिक्रिया दें। धारा संख्या का संदर्भ स्तंभ (4) में दिया गया है ताकि आप कानून के संबंधित प्रावधान को पढ़ने और समझने के बाद अपनी प्रतिक्रिया दे सकें।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
परिदृश्य घटक	विचार करने के लिए अंक	प्रासंगिक अध्याय	कानून का प्रासंगिक प्रावधान	अध्याय पढ़ने के बाद अपनी प्रतिक्रिया लिखें
(1) आरव, जिसका वेतन ₹2 लाख प्रति माह है, अपना फ्लैट आरती को उपहार में देता है। आरती उस फ्लैट को ₹25,000 प्रति माह के किराए पर देती है।	आरव को लगता है कि चूंकि उसने फ्लैट आरती को उपहार में दिया है, इसलिए किराये की आय अब आरती के हाथों में कर योग्य होगी।	4		
	(i) क्या वह सही है? किराये की आय पर कर किसके हाथ में जाएगा?		धारा 27	नहीं, वह सही नहीं है। किराये की आय आरव के हाथों में कर योग्य होगी, क्योंकि वह बिना किसी प्रतिफल के अपनी पत्नी आरती को हस्तांतरित फ्लैट का कथित मालिक है।
	(ii) क्या इस मामले में क्लबिंग प्रावधान लागू होंगे?		धारा 64(1)(iv)	धारा 64(1)(iv) के तहत क्लबिंग प्रावधान आरती को गृह संपत्ति के हस्तांतरण के मामले में लागू नहीं होंगे,

					क्योंकि आरव, हस्तांतरणकर्ता-पति/पत्नी होने के नाते, धारा 27 के अनुसार मान्य मालिक होगा और उससे प्राप्त किराये की आय उसके हाथों में कर योग्य होगी।
(2)	आरव ने भारतीय कंपनियों में अपने कुछ सूचीबद्ध शेयर भी आरती को उपहार में दिए। आरती को इन शेयरों से इस साल ₹62,000 का लाभांश प्राप्त हुआ।	आरती को अपने द्वारा प्राप्त लाभांश और ब्याज आय की कर-देयता के बारे में निश्चितता नहीं है।	4	धारा 64(1)(iv)	आरव द्वारा आरती को बिना किसी प्रतिफल के हस्तांतरित सूचीबद्ध शेयरों से प्राप्त लाभांश, हस्तांतरणकर्ता-पति/पत्नी आरव की आय में शामिल किया जाएगा। हालाँकि, हस्तांतरित संपत्ति के संचय से होने वाली आय को हस्तांतरणकर्ता की आय में नहीं जोड़ा जाएगा। इसलिए, लाभांश आय के निवेश से अर्जित सावधि जमा पर ब्याज को आरव की आय में नहीं जोड़ा जाएगा, लेकिन यह आरती के हाथों में कर योग्य होगा।
(3)	आरती ने ₹ 62,000 की उपरोक्त लाभांश आय को समय-समय पर सावधि जमा में निवेश किया तथा इस वर्ष ऐसी जमाओं पर ₹ 6,000 का ब्याज अर्जित किया।	(i) क्या आप उन्हें बता सकते हैं कि सावधि जमा पर लाभांश और ब्याज पर कर किसके हाथों में होगा?			फ्लैट के हस्तांतरण के मामले में धारा
		(ii) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित			

			उपर्युक्त (1) में उल्लिखित किराये की आय की तुलना में लाभांश आय के कर उपचार में क्या अंतर है?		<p>27 लागू होगी और परिणामस्वरूप, आरव, आरती को बिना किसी प्रतिफल के हस्तांतरित फ्लैट का मान्य स्वामी होगा। तदनुसार, इससे होने वाली किराये की आय, मान्य स्वामी होने के नाते, आरव के हाथों में कर योग्य होगी।</p> <p>हालाँकि, लाभांश आय के मामले में, धारा 64(1)(iv) के तहत क्लबिंग प्रावधान लागू होंगे, क्योंकि उसने गृह संपत्ति के अलावा एक अन्य संपत्ति (सूचीबद्ध शेयर) आरती को बिना किसी प्रतिफल के हस्तांतरित कर दी है।</p>
(4)	आरती मीरा को उसके 16वें जन्मदिन पर अपनी बचत से ₹2 लाख उपहार में देती है। मीरा उसे बैंक में जमा करती है और इस साल ₹20,000 का ब्याज कमाती है।	आरती सोच रही है कि क्या मीरा के नाम पर बैंक जमा पर मिलने वाला ब्याज उसके खाते में आएगा, क्योंकि मीरा अभी 18 साल की नहीं हुई है। सावधि जमा पर ₹20,000 का ब्याज किसके खाते में आएगा और कितना?	4	धारा 64(1A)	मीरा की ब्याज आय, आरव या आरती की कुल आय में शामिल की जाएगी, चाहे मीरा की आय को शामिल करने से पहले उसकी कुल आय ज़्यादा हो। माता-पिता के हाथों में शामिल मीरा की आय के संबंध में, धारा 10(32) के तहत ₹1,500 की छूट उपलब्ध होगी। तदनुसार, माता-पिता के हाथों में

					शामिल की जाने वाली ब्याज आय ₹18,500 होगी।
(5)	मीरा ने वर्ष के दौरान संगीत प्रतियोगिताओं से 60,000 रुपये की पुरस्कार राशि जीती।	मीरा को यकीन नहीं है कि अपनी प्रतिभा के प्रदर्शन से मिली पुरस्कार राशि पर कर लगता है या नहीं। क्या पुरस्कार राशि पर कर लगता है और अगर हाँ, तो किसके पास और कितनी?	4	धारा 64(1A)	हां, मीरा के हाथों में ₹ 60,000 की पुरस्कार राशि कर योग्य होगी क्योंकि यह उसकी प्रतिभा के प्रदर्शन से प्राप्त हुई है।
(6)	श्री आरव ने एसबीआई में ₹10 लाख की सावधि जमा राशि जमा की है। उस पर उन्हें ₹80,000 का ब्याज मिलता है, जिसे उन्होंने अपने दोस्त के बेटे को उच्च शिक्षा प्राप्त करने में मदद के लिए हस्तांतरित कर दिया।	आरव का मानना है कि चूँकि उसने अपनी आय किसी असंबंधित व्यक्ति को हस्तांतरित कर दी है और वह स्वयं उस आय का कोई हिस्सा नहीं लेता, इसलिए उस पर कर नहीं लगेगा। क्या वह सही है? ₹80,000 की राशि पर किसके हाथ में कर लगेगा?	4	धारा 60	नहीं, ₹ 80,000 का ब्याज आरव के हाथों में कर योग्य होगा क्योंकि उसने केवल ब्याज आय को स्थानांतरित किया है, उस परिसंपत्ति (अर्थात् सावधि जमा) को स्थानांतरित नहीं किया है जिससे आय उत्पन्न होती है।
(7)	आरव ने निशा को ₹5 लाख की राशि उपहार में दी। आनंद ने मीरा को ₹3 लाख उपहार में दिए। निशा और	(i) क्या निशा और मीरा के लिए सावधि जमा पर मिलने वाला ब्याज कर योग्य है? यदि हाँ, तो कितना?	4	धारा 64(1A)	यह दो भाइयों, आरव और आनंद द्वारा एक-दूसरे के नाबालिग बच्चे को क्रॉस-ट्रांसफर का मामला है। हालाँकि, धारा 64(1A) के अनुसार, नाबालिग बच्चे की

<p>मीरा दोनों ने इस राशि को सावधि जमा में निवेश किया। निशा ने इस वर्ष सावधि जमा से ₹35,000 और मीरा ने ₹21,000 का ब्याज अर्जित किया।</p>	(ii)	<p>यदि नहीं, तो ऐसी रकम किसके हाथों में कर योग्य होगी और कितनी?</p>		<p>सभी आय, किसी भी स्थिति में, माता-पिता की आय में शामिल की जानी चाहिए, जिनकी कुल आय नाबालिग की आय को शामिल करने से पहले अधिक है। इसलिए, निशा और मीरा के लिए सावधि जमा पर ब्याज कर योग्य नहीं होगा। प्रत्येक नाबालिग बच्चे की ब्याज आय उस माता-पिता के हाथों में शामिल की जाएगी, जिनकी कुल आय नाबालिग बच्चे की आय को शामिल करने से पहले अधिक है।</p>
				<p>नोट – यह ध्यान देने योग्य है कि यदि आरव ने निशा के बजाय गायत्री को ₹5 लाख की राशि उपहार में दी होती, तो आनंद के हाथों में शामिल होने वाली ब्याज आय क्रॉस ट्रांसफर की सीमा तक ही सीमित होती। आनंद के हाथों में केवल ₹21,000 [$₹35,000 \times 3/5$] की ब्याज आय शामिल होती, न कि ₹35,000, क्योंकि क्रॉस ट्रांसफर केवल ₹3 लाख तक ही होता है।</p>

(8)	आनंद फर्नीचर का व्यापार करते हैं, जिसमें उन्हें इस वर्ष ₹ 7.20 लाख का घाटा हुआ। वे इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों का व्यापार भी करते हैं, जिसमें उन्हें इस वर्ष ₹ 43 लाख का लाभ हुआ।	चूँकि यह पहला साल है जब आनंद को घाटा हो रहा है, आनंद जानना चाहता है कि क्या वह फर्नीचर के व्यापार से हुए घाटे को इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के व्यापार से हुए मुनाफे से समायोजित कर सकता है। क्या वह ऐसा कर सकता है?		5	धारा 70	हां, आनंद फर्नीचर के व्यापार से होने वाले नुकसान को इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के व्यापार से होने वाले लाभ से समायोजित कर सकते हैं।
(9)	गायत्री एक कंपनी में जूनियर अकाउंटेंट के पद पर ₹45,000 प्रति माह पर कार्यरत हैं। उन्होंने इस वर्ष एक बुटीक भी खोला है और उससे उन्हें ₹2.20 लाख का घाटा हुआ है। उन्हें अपनी वेतन आय के अलावा घर की संपत्ति से ₹10,000 प्रति माह किराये की आय होती है।	(i)	क्या वह अपने व्यवसायिक घाटे को अपनी अन्य आय से समायोजित कर सकती है?	5	धारा 71	हां, गायत्री अपने चालू वर्ष के व्यावसायिक घाटे को वेतन के अलावा किसी भी अन्य मद में आय के विरुद्ध समायोजित कर सकती हैं। "व्यवसाय या पेशे से लाभ और प्राप्ति" शीर्षक के अंतर्गत होने वाली हानि को वेतन आय से समायोजित नहीं किया जा सकता। हालाँकि, इसे "गृह संपत्ति से आय" शीर्षक के अंतर्गत होने वाली आय से समायोजित किया जा सकता है।
		(ii)	यदि हां, तो वह किस आय के विरुद्ध ऐसी हानि का समायोजन कर सकती है?		धारा 72	गृह संपत्ति से उसकी आय ₹ 84,000 है [₹ 1,20,000 (₹ 10,000 x 12 महीने) में से ₹ 36,000 घटाकर, धारा 24(a) के अंतर्गत कटौती]। इस आय से,
		(iii)	यदि हानि की पूरी भरपाई नहीं की जा सकती तो क्या वह ऐसी हानि को आगे ले जा सकती है?			

						वह ₹ 84,000 तक की अपनी व्यावसायिक हानि का समायोजन कर सकती है। शेष ₹ 1,36,000 की व्यावसायिक हानि को अगले वर्ष के लिए आगे ले जाना होगा।
		(iv)	यदि हां, तो कितने वर्षों के लिए तथा किस आय के विरुद्ध ऐसी हानि को समायोजित किया जा सकता है?			वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए ₹ 1,36,000 की अनवशोषित व्यावसायिक हानि को "व्यवसाय या पेशे से लाभ और प्राप्ति" शीर्षक के अंतर्गत आय के विरुद्ध समायोजित करने के लिए अधिकतम 8 निर्धारण वर्षों के लिए आगे बढ़ाया जा सकता है।
(10)	अप्रैल 2025 में, आरव ने वित्त वर्ष 2023-24 में खरीदे गए कुछ सूचीबद्ध शेयर बेच दिए और घाटा उठाया। उसी महीने, उसने जून 2024 में खरीदी गई ज़मीन बेच दी और मुनाफ़ा कमाया।	(i)	क्या वह शेयरों की बिक्री से हुई हानि को भूमि की बिक्री से हुए लाभ के विरुद्ध समायोजित कर सकता है?	5	धारा 70	सूचीबद्ध शेयरों की बिक्री पर होने वाला नुकसान दीर्घकालिक पूंजीगत नुकसान होता है, जबकि ज़मीन की बिक्री पर होने वाला लाभ अल्पकालिक पूंजीगत लाभ होता है। दीर्घकालिक पूंजीगत नुकसान को केवल दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ से ही समायोजित किया जा सकता है। इसलिए, सूचीबद्ध शेयरों की बिक्री से होने वाले दीर्घकालिक पूंजीगत नुकसान को ज़मीन की बिक्री से होने वाले अल्पकालिक पूंजीगत लाभ से समायोजित नहीं किया जा सकता।

		(ii)	यदि नहीं, तो क्या वह घाटे को आगे ले जा सकता है? यदि हाँ, तो कितने वर्षों तक?		धारा 74	सूचीबद्ध शेयरों की बिक्री से होने वाली दीर्घकालिक पूंजीगत हानि को उस वर्ष में होने वाले दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ, यदि कोई हो, के विरुद्ध समायोजित करने के लिए अगले वर्ष के लिए आगे बढ़ाया जा सकता है। ऐसी हानि को अधिकतम 8 निर्धारण वर्षों के लिए आगे बढ़ाया जा सकता है।
(11)	इस साल आरती ने अपने पुश्तैनी गहने बेचकर मुनाफ़ा कमाया। इस पैसे से उसने कॉस्मेटिक्स का व्यापार शुरू किया और साल भर में उसे घाटा हुआ।		आरती सोचती है कि क्या वह सौंदर्य प्रसाधनों के व्यापार से हुए नुकसान को आभूषणों की बिक्री से हुए लाभ से समायोजित कर सकती है। क्या वह ऐसा कर सकती है?	5	धारा 71	हां, आरती सौंदर्य प्रसाधनों के व्यापार से होने वाले व्यावसायिक नुकसान को आभूषणों की बिक्री से होने वाले पूंजीगत लाभ के विरुद्ध समायोजित कर सकती है।
(12)	आरव ने अपने जीवन का बीमा कराने के लिए ₹ 60,000 का जीवन बीमा प्रीमियम चुकाया। उसने अपने माता-पिता के जीवन का बीमा कराने के लिए ₹ 80,000 का जीवन बीमा प्रीमियम भी चुकाया। आनंद ने अपने जीवन का बीमा कराने के लिए ₹ 40,000 का जीवन बीमा प्रीमियम चुकाया।		क्या आरव और आनंद जीवन बीमा प्रीमियम भुगतान पर कटौती के पात्र हैं? यदि हाँ, तो कितनी राशि?	6	धारा 80C	आरव अपने जीवन बीमा प्रीमियम के लिए धारा 80सी के तहत ₹60,000 की कटौती का पात्र है। माता-पिता के जीवन बीमा के लिए भुगतान किया गया प्रीमियम कटौती के रूप में स्वीकार्य नहीं होगा। चूँकि आनंद धारा 115BAC के तहत डिफ़ॉल्ट कर व्यवस्था के तहत कर का भुगतान करता है, इसलिए वह धारा 80C के तहत कटौती का पात्र नहीं होगा।

(13)	<p>आरव ने अपने और आरती के स्वास्थ्य का बीमा कराने के लिए ₹ 30,000 का चिकित्सा बीमा प्रीमियम चेक से चुकाया। उसने अपने माता-पिता के स्वास्थ्य का बीमा कराने के लिए ₹ 60,000 का चिकित्सा बीमा प्रीमियम भी चेक से चुकाया। आनंद ने अपने और गायत्री के स्वास्थ्य का बीमा कराने के लिए ₹ 20,000 का चिकित्सा बीमा प्रीमियम चुकाया।</p>	<p>क्या आरव और आनंद भुगतान किए गए चिकित्सा बीमा प्रीमियम के संबंध में कटौती के पात्र हैं? यदि हाँ, तो कितनी राशि?</p>	6	धारा 80D	<p>आरव स्वयं और अपनी पत्नी के लिए भुगतान किए गए चिकित्सा बीमा प्रीमियम पर धारा 80डी के तहत ₹25,000 की कटौती के लिए पात्र है। चूंकि उसके माता-पिता वरिष्ठ नागरिक हैं, इसलिए वह उनके लिए भुगतान किए गए चिकित्सा बीमा प्रीमियम पर ₹50,000 की कटौती के लिए पात्र होगा। इसलिए, वह धारा 80डी के तहत कुल ₹75,000 की कटौती के लिए पात्र होगा। चूंकि आनंद धारा 115BAC के तहत डिफॉल्ट कर व्यवस्था के तहत कर का भुगतान करता है, इसलिए वह धारा 80D के तहत कटौती के लिए पात्र नहीं होगा।</p>
(14)	<p>आरव ने हेमा, जो विकलांग है और उस पर निर्भर है, के चिकित्सा उपचार के लिए ₹ 50,000 खर्च किए।</p>	<p>आरव हेमा के इलाज पर हुए वास्तविक खर्च पर कटौती का दावा करना चाहता है। क्या वह ऐसे खर्च के लिए कटौती का पात्र है? यदि हाँ, तो कितनी राशि?</p>	6	धारा 80DD	<p>हां, चूंकि व्यय एक आश्रित विकलांग के चिकित्सा उपचार के लिए किया गया था, इसलिए आरव धारा 80DD के तहत ₹ 75,000 की फ्लैट कटौती का दावा करने का हकदार होगा, चाहे खर्च की गई राशि कुछ भी हो, बशर्ते हेमा धारा 80U के तहत कटौती का दावा न करे।</p>

<p>(15)</p>	<p>आरव और आनंद ने एक पंजीकृत धर्मार्थ ट्रस्ट को ₹ 10,000-₹ 10,000 नकद तथा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष को अकाउंट पेयी चेक के माध्यम से ₹ 1 लाख दान किये।</p>	<p>क्या आरव और आनंद ऐसे दान के संबंध में कटौती के पात्र हैं? यदि हाँ, तो कितनी?</p>	<p>6</p>	<p>धारा 80G</p>	<p>आरव प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में दान के लिए धारा 80G के तहत ₹1 लाख की कटौती के पात्र होंगे। हालाँकि, पंजीकृत धर्मार्थ ट्रस्ट को दान के लिए वह कटौती के पात्र नहीं होंगे क्योंकि ₹10,000 का भुगतान, जो ₹2,000 से अधिक है, नकद में किया गया था। चूँकि आनंद धारा 115BAC के तहत डिफॉल्ट कर व्यवस्था के तहत कर का भुगतान करते हैं, इसलिए वे धारा 80जी के तहत किसी भी कटौती के पात्र नहीं होंगे।</p>
<p>(16)</p>	<p>आरव का बचत बैंक खाते से ब्याज ₹ 35,000 है और आनंद का बचत बैंक खाते से ब्याज ₹ 22,000 है।</p>	<p>क्या आरव और आनंद बचत बैंक खाते से ब्याज पर कटौती के पात्र हैं? यदि हाँ, तो कितनी?</p>	<p>6</p>	<p>धारा 80TTA</p>	<p>आरव, बचत बैंक खाते से प्राप्त ब्याज पर धारा 80TTA के अंतर्गत ₹ 10,000 की कटौती के लिए पात्र है। चूँकि आनंद, धारा 115BAC के अंतर्गत डिफॉल्ट कर व्यवस्था के अंतर्गत कर का भुगतान करता है, इसलिए वह धारा 80TTA के अंतर्गत कटौती के लिए पात्र नहीं होगा।</p>

(17)	<p>आनंद ने निशा की उच्च शिक्षा के लिए एसबीआई से ऋण लिया है और वह ₹10,000 की मासिक किश्त (EMI) चुकाता है। इस वर्ष, मूलधन का भुगतान ₹80,000 और ब्याज का भुगतान ₹40,000 था।</p>	<p>आनंद जानना चाहते हैं कि क्या उन्हें उनके द्वारा चुकाई गई EMI पर छूट मिलती है। क्या उन्हें कोई छूट मिलती है और अगर हाँ, तो कितनी?</p>	6	धारा 80E	<p>चूंकि आनंद धारा 115BAC के अंतर्गत डिफॉल्ट कर व्यवस्था के तहत कर का भुगतान करता है, इसलिए वह अपनी बेटी की उच्च शिक्षा के लिए लिए गए ऋण पर ब्याज के संबंध में धारा 80E के तहत कटौती के लिए पात्र नहीं होगा।</p>
(18)	<p>आरव ने 2022-23 में जनता से जमा स्वीकार करने वाली एक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (NBFC) से ऋण लेकर एक इलेक्ट्रिक कार खरीदी है। वह ₹20,000 की EMI चुकाता है। इस वर्ष मूलधन का भुगतान ₹80,000 और ब्याज का भुगतान ₹1,60,000 था।</p>	<p>आरव का मानना है कि उसके द्वारा चुकाई गई ₹20,000 की EMI कटौती के योग्य है। क्या वह सही है? यदि हाँ, तो वह कितनी कटौती का दावा कर सकता है?</p>	6	धारा 80EEB	<p>आरव, जमा स्वीकार करने वाली NBFC से इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने के लिए लिए गए ऋण पर उसके द्वारा चुकाए गए ब्याज के संबंध में धारा 80EEB के तहत ₹ 1,50,000 की कटौती के लिए पात्र है, जो उस धारा में परिभाषित "वित्तीय संस्थान" के अर्थ में आता है।</p>



क्रॉसवर्ड पहेली

